

सं. ई-11014/04/2018-हिंदी/592-650

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
केंद्रीय जल आयोग
(हिंदी अनुभाग)

906(द), सेवा भवन, आर के पुरम,
नई दिल्ली - 110066

दिनांक 12 जनवरी, 2021


कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना शुरू करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर हिंदी अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के दिनांक 23.12.2020 के परिपत्र सं. ई/11022/1/2017-हिन्दी/943-1093 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु के.ज.आ. (मुख्यालय) के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी कृपया अपनी मौलिक रचनाएं निम्नलिखित पते पर भेजें:-

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग),
जल शक्ति मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

संलग्न: यथोक्त

भवदीया,


(रजिन्दर पॉल)
उपनिदेशक (राजभाषा)

1. सभी मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. सभी निदेशक/ शाखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. निदेशक (समन्वय), अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध के प्रधान निजी सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

अनुस्मारक

फाइल सं. ई-11022/1/2017 -हिंदी/943-1093

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(हिन्दी अनुभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020

विषय : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना शुरू करने के संबंध में ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना लागू की गई है जिसके विषय में दिनांक 30.10.2019 को समसंख्यक परिपत्र जारी किया गया है । उक्त परिपत्र जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के वेबसाइट के इंटरनेट पृष्ठ पर भी उपलब्ध है ।

अतः सभी से अनुरोध है कि कैलेन्डर वर्ष 2019 (01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019) के पुरस्कार के लिए अपनी-अपनी प्रविष्टियां यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें । सुगम संदर्भ के लिए दिनांक 30.10.2019 के समसंख्यक परिपत्र की प्रति संलग्न है ।

अनिल कुमार
23/12/2020

(अनिल कुमार)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

8. वेतन एवं लेखा कार्यालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ।
9. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
10. जल शक्ति मंत्री के निजी सचिव/जल शक्ति राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
11. सचिव (ज.सं.,न.वि. और गं.सं.) के निजी सचिव/अपर सचिव (ज.सं.,न.वि. और गं.सं.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।
12. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली अनुरोध है कि इस निर्णय//योजना के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करे ।
13. सचिव, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी बिल्डिंग-II, नई दिल्ली ।
14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संस्थान/बोर्ड आदि ।
15. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी तथा अनुभाग/डेस्क/यूनिट आदि।
16. सभी राज्यों के प्रधान निजी सचिव एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य प्रशासक ।